

सूदखोर राजू खान की कब होगी गिरफ्तारी?

कई मामलों में है राजू खान के विरुद्ध अपराध दर्ज

आधा दर्जन से अधिक मामलों में आरोपी राजू खान चल रहा है फरार,गिरफ्तारी से पहले ही मिलती है उसे सूचना:सूरज

आखिर कौन है पुलिस विभाग में राजू खान का मुखबिर जो देता है कार्यवाही से पहले उसे सूचना और वह हो जाता है फरार ?

राजू खान से कई एसईसीएल कर्मचारी हैं प्रताड़ित,ब्याज के नाम पर करता है अधिक पैसे की वसूली



राजू खान पर कड़ी कार्रवाई की उठ रही मांग

राजू खान का सूदखोरी का व्यवसाय काफी बड़े स्तर पर संचालित है। वह हैबतया जाता है की कई लोगों के महीने भर की कमाई का कितना उसके परिवार के जीवन यापन के लिए प्रदान किया जाता है यह राजू खान की तय करता है। एसईसीएल के कई कर्मचारियों के महीने भर की कमाई हर माह राजू खान के पास जमा होने के बाद भी उसका मूलधन आज भी खड़ा है कर्जदार के विरुद्ध जबकि बताया जा रहा है की कईयों के द्वारा मूलधन से तीन गुना चार गुना भुगतान कर दिया गया है। राजू खान का ब्याज खतम होता ही नहीं यह भी बताया जा रहा है और कई लोग उससे अब प्रताड़ित हैं। राजू खान पर कड़ी कार्यवाही हो और राजू खान के चंगुल से लोग बच सकें यह मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अब देखा है की पुलिस क्या कार्यवाही करती है और किस तरह से राजा खान के चंगुल से लोगों को बचाती है।

राजू खान पर दर्ज अपराध का विवरण

राजू खान पर पहला अपराध 2017 में दर्ज हुआ था जिसका अपराध क्रमांक 22/17 दिनांक 13.10.17 धारा 394, 397, 34 - द,बि, दूसरा अपराध क्रमांक 148/23 दिनांक 10.09.23 धारा 384,341,294,506,34 भा.द.वि.छ.ग.ऋ.णियों का संरक्षण 1937 की धारा 4,5, तीसरा अपराध क्रमांक 13/24 धारा 386,294,506,34 भा.द.वि., छ.ग.ऋ.णियों का संरक्षण धिनियम 1937 की धारा 4,5, चौथा अपराध क्रमांक 170/24 420,294,506,35 भा.द.वि.,छ.ग.ऋ.णियों का संरक्षण पनियम 1937 की धारा 4,ST/SC एक्ट की धारा 3(2) क, पांचवा अपराध क्रमांक 89/08 दिनांक 30.03.08 धारा 13 जुआ के तहत दर्ज है।

पुलिस विभाग के कर्मचारी भी राजू खान के साथ हैं मिले हुए

सूत्र बताते हैं की राजू खान का सूदखोरी का व्यवसाय काफी बड़े स्तर पर संचालित है और उसके चंगुल में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। राजू खान अपने सूदखोरी के व्यवसाय संचालन के लिए पुलिस विभाग में भी अपना संपर्क बना कर रखे हैं और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी उनके सहयोगी हैं उनके व्यवसाय में। बता दें की जब जब राजा खान पर पुलिसिया कार्यवाही की बात सामने आती है कोई शिकायत सामने आती है उसकी भनक शिकायत से पहले ही राजा खान को लग जाती है और वह फरार हो जाता है या फिर वह अपने बचाव के प्रयास में लग जाता है। कुल मिलाकर राजा खान का पुलिस विभाग में कोई सहयोगी जरूर है जो उसकी मदद उसे जानकारी प्रदान कर करता है।

एक चर्चित प्रधान आरक्षक का भी है राजू खान के साथ था संपर्क

सूत्रों का यह भी कहना है की कोरिया जिले के एक चर्चित प्रधान आरक्षक का भी राजा खान के साथ संपर्क है ऐसा बताया जाता है। बताया जा रहा है की कोरिया जिले का उक्त चर्चित प्रधान आरक्षक जिले के अवैध कारोबारियों का सबसे बड़ा मददगार है। उक्त प्रधान आरक्षक का कार्य ही है की वह अवैध कारोबारियों की मदद करता है और उसके एज में वह अपना भी हिस्सा प्राप्त करता है। उक्त प्रधान आरक्षक को लेकर कई शिकायतें भी हैं पुलिस के पास लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती मामले में क्योंकि उससे विभाग की ही छवि धूमिल होगी वहीं उक्त प्रधान आरक्षक को सबसे बड़ी विशेषता है की वह उच्च अधिकारियों को वश में करना जानता है और सभी की कमजोरी वह अपने हिसाब से उपयोग करता है उन पर दबाव बनाने में वह वह खुद कहते सुना जाता है। अभी माइक दो के करीबी बने हुए है।

-रवि सिंह- कोरिया, 10 जून 2024 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले में सूदखोरी का कारोबार लंबे समय से चलता आ रहा है और यह कारोबार एसईसीएल क्षेत्र में ज्यादा चलता देखा जाता था और जो आज भी जारी है। पहले कर्मचारी ज्यादा थे तो सूदखोरी का धंधा करने वाले भी ज्यादा थे अब कर्मचारी कम हैं तब भी धंधा यह जारी है वहीं सूदखोर भी कम हो गए हैं। सूदखोर कम जरूर हो गए हैं लेकिन जितने भी सूदखोर हैं जिले में उनका आतंक कम नहीं हुआ है। कोरिया जिले में ऐसा ही एक नाम है राजू खान जो राजू खान के लिए फरार है और जब

वैतन आता है वह पैसा बैंक से निकाल लेता है और वह अपने मुताबिक पैसा उठे देता है जो उसके कर्जदार हैं। मूलधन से ज्यादा ब्याज चुकाने के बावजूद भी राजू खान का दिया हुआ कर्ज आज भी लोगों के सर पर खड़ा है और प्रतिदिन वह दुगुना तिरगुना स्वरूप ले रहा है। बताया जाता है की कई लोग कई गुना पैसा चुकाने के बाद भी जब अपना एटीएम से चेकबुक वापस मांगते है उन्हे वह वापस नहीं मिलता वहीं उसकी जगह धमकी मिलती है। राजू खान बैंक से निकालता है ब्याज पर पैसे लेने वाले लोगों का चेक बुक और उनका एटीएम राजू खान ही रखता है और जब

वैतन आता है वह पैसा बैंक से निकाल लेता है और वह अपने मुताबिक पैसा उठे देता है जो उसके कर्जदार हैं। मूलधन से ज्यादा ब्याज चुकाने के बावजूद भी राजू खान का दिया हुआ कर्ज आज भी लोगों के सर पर खड़ा है और प्रतिदिन वह दुगुना तिरगुना स्वरूप ले रहा है। बताया जाता है की कई लोग कई गुना पैसा चुकाने के बाद भी जब अपना एटीएम से चेकबुक वापस मांगते है उन्हे वह वापस नहीं मिलता वहीं उसकी जगह धमकी मिलती है। राजू खान बैंक से निकालता है ब्याज पर पैसे लेने वाले लोगों का चेक बुक और उनका एटीएम राजू खान ही रखता है और जब

एक बार राजू खान की गिरफ्तारी तो हुई थी पर पुलिस विज्ञापित के दौरान उसकी फोटो नहीं खींची गई थी

सूदखोरी का धंधा कानून के लिए अवैध कारोबार की ही श्रेणी का व्यवसाय है और इसमें सलिस व्यक्ति पर कार्यवाही पुलिस की प्राथमिकता होती है और प्रायः कार्यवाही होती भी है। सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को कोई सहूलियत या कोई रियायत भी नहीं प्रदान किया जाता है पुलिस द्वारा यह भी देखा गया है लेकिन राजू खान के मामले में देखने को मिला है की उसके साथ अन्य सूदखोरों की अपेक्षा अलग व्यवहार तब देखने को मिला था जब एक मामले में गिरफ्तार किए जाने पर जब प्रेस के समक्ष सूदखोरों को लेकर प्रेस विज्ञापित जारी की जा रही थी तब कई सूदखोरों को भी प्रेस के सामने तस्वीर खींचने के लिए लाया गया था लेकिन उसी मामले में उसी दिन गिरफ्तार में आए राजू खान को प्रेस के सामने तस्वीर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। राजा खान को लेकर रियायत का प्रावधान जिले के पुलिस विभाग में क्यों जारी है इसको लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं।

सूदखोरी का धंधा कानून के लिए अवैध कारोबार की ही श्रेणी का व्यवसाय है और इसमें सलिस व्यक्ति पर कार्यवाही पुलिस की प्राथमिकता होती है और प्रायः कार्यवाही होती भी है। सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को कोई सहूलियत या कोई रियायत भी नहीं प्रदान किया जाता है पुलिस द्वारा यह भी देखा गया है लेकिन राजू खान के मामले में देखने को मिला है की उसके साथ अन्य सूदखोरों की अपेक्षा अलग व्यवहार तब देखने को मिला था जब एक मामले में गिरफ्तार किए जाने पर जब प्रेस के समक्ष सूदखोरों को लेकर प्रेस विज्ञापित जारी की जा रही थी तब कई सूदखोरों को भी प्रेस के सामने तस्वीर खींचने के लिए लाया गया था लेकिन उसी मामले में उसी दिन गिरफ्तार में आए राजू खान को प्रेस के सामने तस्वीर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। राजा खान को लेकर रियायत का प्रावधान जिले के पुलिस विभाग में क्यों जारी है इसको लेकर कई सवाल खड़े होते रहे हैं।



21 जून तक ग्रामीण आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन आमंत्रित

-संवाददाता- सूरजपुर, 10 जून 2024 (घटती-घटना)।

ग्रामीण क्षेत्र आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 01 पद रिक्त है। आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सिलफिली के

कार्यालय में 07 से 21 जून तक शाम 05.30 बजे तक आमंत्रित किया जाना है। आवेदन पत्र स्वयं, प्रतिनिधि भेजकर, डाक से भेजकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदिका ग्राम पंचायत मदनपुर के आंगनबाड़ी केंद्र मदनपुर बंगालीपारा के लिये इच्छुक आवेदिका रिक्त पद पर आवेदन कर सकते हैं।

21 जून से समाधान शिविर का होगा आयोजन

-संवाददाता- सूरजपुर, 10 जून 2024 (घटती-घटना)।

जिला अंतर्गत समस्त जनपद पंचायतों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण तथा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'समाधान शिविर' का आयोजन 21 जून से 06 सितम्बर तक किया जाएगा। 'समाधान शिविर' के माध्यम से समस्त विभाग के जिला / ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविर स्थल पर उपस्थित होकर संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ विभागीय स्टाॅल के माध्यम से शिविर स्थल पर ऑन स्पॉट डिलिवरी योग्य सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। समस्त

जिलाधिकारी शिविर के दिन शिविर स्थल पर आवश्यक तैयारी तथा विभागीय जानकारी सहित सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय समाधान शिविर समय सारणी के अंतर्गत 21 जून दिन शुक्रवार जनपद पंचायत प्रेमनगर में शिविर स्थल ग्राम पंचायत महेशपुर, 05 जुलाई दिन शुक्रवार जनपद पंचायत सूरजपुर में ग्राम पंचायत पाठकपुर, 19 जुलाई दिन शुक्रवार जनपद पंचायत रामानुजनगर में शिविर स्थल ग्राम पंचायत गणेशपुर, 02 अगस्त दिन शुक्रवार जनपद पंचायत प्रतापपुर में शिविर स्थल ग्राम पंचायत जजवल, 16 अगस्त दिन शुक्रवार जनपद पंचायत भैयाथान में शिविर स्थल ग्राम पंचायत बरपारा एवं 06 सितम्बर दिन शुक्रवार जनपद पंचायत ओड़ुगी में शिविर स्थल ग्राम पंचायत छतरगं में शिविर का आयोजन होगा।

अधिकारी कार्यालयीन रूटिंग कार्य पर करें फोकस:कलेक्टर

बरसात के पूर्व सभी रुके हुए निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कर, निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश आगामी खरीफ फसल के मद्देनजर सभी सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश

ग्रामीण सचिवालय में नोडल अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य



-संवाददाता- सूरजपुर, 10 जून 2024 (घटती-घटना)।

आदर्श आचार संहिता समाप्ति के पश्चात आज समय सीमा की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में ली गई। बैठक में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने उपस्थित अधिकारियों को कार्यालयीन रूटिंग कार्य पर ध्यान देने, जनसमस्या एवं जन शिकायत के लंबित प्रकरणों को तत्परतापूर्वक निराकरण करने हेतु निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने शासन की मंशा अनुरूप निर्वाचन अर्वाधि में प्रभावित कार्यों को तीव्र गति से संपादित करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं पर फोकस करें और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजना से जोड़ें। बरसात के पूर्व सभी रुके हुए निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कर, निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिये गए। कलेक्टर ने आगामी खरीफ फसल के मद्देनजर सभी सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही सभी एसडीएम को लगातार मॉनिटरिंग करने और किसान बंधुओं के साथ सतत संपर्क रखने के लिए कहा ताकि वास्तविक वस्तु स्थिति पर नजर रखी जा सके। बैठक में ग्रामीण सचिवालय में नोडल अधिकारी की अनिवार्य उपस्थिति को लेकर निर्देशित किया गया। इसके साथ ही श्री



राजस्व अधिकारियों की बैठक में प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के लिए निर्देश

कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कामकाजों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि आम जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनने के साथ इसका निराकरण समय सीमा में करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सीमांकन, डायवर्सन, अविवादित, विवादित नामांतरण, बंदवारा, भूमि आबंटन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, पटवारी की उपलब्धता और अभिलेख दुरुस्तीकरण, भू-राजस्व वसूली, भू-अर्जन प्रकरणों का मुआवजा भुगतान की स्थिति आदि की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।



रामलला दर्शन के लिये चिन्हित तीर्थ-यात्रियों को लेकर भी चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत चिन्हित तीर्थ-यात्रियों का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तथा ब्लड ग्रुप की जानकारी एकत्र करने के लिए कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही बैठक में समय-सीमा व अन्य लंबित प्रकरणों पर विभागवार चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश

नंदिनी साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, संयुक्त कलेक्टर श्री नरेंद्र पैकरा व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

